


30/23

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

10/5/23

आधी वकील उपरिखत / निष्पत्ती क्र 2
के वकील उपरिखत / आपन्दा जबाब
हेतु समग्र बाह्य है जो दिया जाता है।
निष्पत्ती क्र 1 भी तपकी इन्तफार हेतु
दिनांक 15/5/23 को पेश है।


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

15/5/23

पक्षमारन वकील उपरिखत / काज
800 से प्रशासन गांव के सगे अधिपाम
2023 में उपस्त है। पत्रावली दिनांक
16/6/23 को पेश है।




18.5.23

पत्रावली वकील आधी द्वारा जर्जन पत्र
आज पेशी तारीख पर तलब कर बिहोत
करने बाबत पेश करने पर सुनवाई
में ली गई। वकील आधी ने बिहोत
बिग कि पक्षकारों के बीच गांव के मौजिल
लोगों द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है
तथा अब हमारे बीच किसी भी प्रकार का
विवाद नहीं है व उम्माग में किसी प्रकार
भी भर्षनाही व आजे-चलाना नहीं जायते है।
क्षेत्र में बिहोत किया कि जर्जन पत्र जरिफे
बिहोत खारिज करमाण प्रथे।

हमने वकील आधी को सुना पत्रावली
व जर्जन पत्र का अवलोकन किया जितने
जाया कि आधी स्वयं अपने जर्जन
पत्र पर भर्षनाही नहीं जायते है जरिफे
बिहोत खारिज किये जाने में किसी प्रकार
की आपत्ती पुस्त नहीं होती है।

लिखत आधी का जर्जन पत्र इत्ती
स्टेज पर जरिफे बिहोत खारिज
किया जाता है।

पत्रावली पेशता सुमार होकर अंबर
के कम होकर शक्ति होकर है।


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा